न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 38 / 2016

उनवानी प्रार्थना पत्र

निर्णय दिनांक :–10.10.2023

झुम्मा देवी पत्नी रतनलाल जाति खटीक उम्र 55 वर्ष निवासी खटीक मोहल्ला देवली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

–प्रार्थी–

बनाम

1. छगनलाल पुत्र जगन्नाथ जाति माली उम्र बालिग निवासी खेजड़ी तहसील सावर जिला अजमेर (राज.)
2. सोकत अली पुत्र मोहम्मद युसुफ जाति मुसलमान उम्र बालिग निवासी देवली तहसील देवली जिला टोंक (राज.) तहसीलदार तहसील देवली टोक
3. तहसीलदार, तहसील देवली

–अप्रार्थीगण–

–उपस्थितिः–

श्री राजेन्द्र जैतरवाल
अधिवक्ता प्रार्थी

श्री अशोक कुमार गुप्ता
अप्रार्थी संख्या 1
एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध
अप्रार्थी संख्या 2

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.ए.

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थिया की संयुक्त खातेदारी व कब्जे– काश्त की आराजीयात खाता नम्बर 470 खसरा नम्बर 3615 रकवा 0.01 है0, खसरा नम्बर 3616 रकबा 0.29 है0, खसरा नम्बर 3617 रकबा 0.33 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.72 है0 तनग्राम देवलीगांव पटवार हल्का दवली तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। प्रार्थिया की उक्त भूमि के पहले अप्रार्थी नं. 1 की खातेदारी की भूमि आराजी खाता नम्बर 361 खसरा नम्बर 3621 रकबा 1.06 है0, अप्रार्थी नं. 2 की खातेदारी की भूमि आराजी खाता संख्या 1372 खसरा नम्बर 3622 रकबा 0.37 है0 वाके तनग्राम देवलीगांव पटवार हल्का देवली तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। उक्त भूमि में से ही होकर प्रार्थिया अपनी खातेदारी की भूमि में आती–जाती है। तथा काश्तकारी कार्य करती है। लेकिन विधिवत रूप से रास्ता नहीं होने के कारण प्रार्थिया को काफी परेशानियो का सामना करना पड़ता है। इस कारण प्रार्थिया को उक्त सिवायचक भूमि में से रास्ता दिलवाना आवश्यक है। प्रार्थिया की आराजीयात माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है।अतः प्रार्थना पेश कर निवेदन हैं कि प्रार्थिया को अपनी भूमि में आने–जाने

उपयोग–उपभोग करने हेतु उक्त अप्रार्थीगण की भूमि में से नियमानुसार रास्ता दिलवाने के आदेश फरमावे तथा राजस्व रिकार्ड में रास्ते का इन्द्राज किये जाने की आज्ञा फरमाये ।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थीगण संख्या 2 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई ।

अप्रार्थीगण संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता अशोक कुमार गुप्ता ने वकालतनामा व जवाब पेश किया गया जो इस प्रकार हैः– आवेदन का पैरा सं.1 जानकारी के अभाव मे अस्वीकार है । आवेदन का पेरा सं. 2 गलत है, अस्वीकार है। हाल खसरा नम्बर 2621 रकबा 1.06 है0 का प्रतिपक्षी संख्या 1 खातेदार काश्तकार है। मौके पर उक्त खेत में से आवेदिका का आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। प्रतिपक्षी सं. 1 ने अपने हिस्से की आराजीयात के चारों तरफ डोल लगा रखी है और गोटातूर लगा रखी है। प्रतिपक्षी सं. 2 की भूमि से भी कोई रास्ता नहीं है। आवेदिका के खेत में आने जाने के लिये वैकल्पिक रास्ता दक्षिण दिशा में गणेश रोड़ की तरफ से है जिससे आवेदिका बरसो से आती जाती रही है। प्रार्थया ने जिससे जमीन खरीदी थी उसका भी यही कहना है और आज भी आवेदिका इसी रोड़ से आ जा रही है। आवेदिका यदि कोई रास्ता लेना चाहती है तो उसके नजदीग ख. नं. 3921 पड़ता है जिससे वह आसानी से रास्ता ले सकती है लेकिन जानबूझकर उक्त ख. नं. के खातेदार को पक्षकार नहीं बनाया है। आवेदन का चरण नं. 3 कानूनी है, जवाब की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदन में चाही गयी अधियाचना भी बिल्कुल गलत है, अस्वीकार है। अतः जवाब आवेदन प्रतिपक्षी सं. 1 की ओर से पेश कर निवेदन है कि आवेदिका का आवेदन मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण संख्या 3 तहसीलदार द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की गई जो इस प्रकार हैः– प्राथी की आराजी पर पहुचने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थी की आवश्यकता अत्यधिक है। रास्ते की प्रास्तावित चोड़ाई खसरा नं0 3622 में 20 मीटर लम्बा 4 मीटर चौड़ा एवं खसरा न0 3621 में से चौड़ाई 4 मीटर लम्बाई 76 मीटर अर्थात ख. नं. 3022 में से 80 वर्गमीटर एवं ख. नं. 3621 में 304 वर्गमीटर रास्ते की आवश्यकता है। रास्ते चाहे जाने वाली कृषि भूमि की वर्तमान डी एल सी दर 900900/– रूपये प्रति हेक्टयर है। दुगनी दर से प्रतिकर राशि 69190/– रूपये होगी। आवेदक की आराजी खातेदारी भूमि है। 6. प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता खसरा नं0 3622 व 3621 में से चाहा गया है जो नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से चिन्हित कर दिया गया है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य कोई संरचना नही है। प्रार्थीगण रास्ते के लिये सहमत नहीं है।

अत रिपोर्ट श्रीमानजी की सेवा में सादर प्रेषित है।

1. भू.अ.नि देवली का मौका रिपोर्ट 2. नक्शा ट्रेस की नकल 3. जमाबन्दी की नकल 4. डी. एल. सी. रेट को सूची पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता आत्यन्तिक है। तहसीलदार ने अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं बताया है। श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की कृपा करे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने कथन किया कि गै. मु. रास्ते से प्रार्थी को ख. नं. 3921 से रास्ता लेना चाहिए क्योंकि यह प्रस्तावित रास्ते से नजदीक पड़ता है। और नियम में निकटतम से निकटतम रास्ता देने का प्रावधान है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

अप्रार्थी तहसीलदार ने जवाब/रिपोर्ट को ही बहस मानने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। नक्शा ट्रेस व तहसीलदार की रिपोर्ट का अवलोकन करने पर दृष्टिगत होता है कि प्रार्थी की आराजी ख. नं. 3615, 3616 व 3617 में जाने के लिए तहसीलदार देवली ने ख. नं. 3621 व 3622 से रास्ता प्रस्तावित किया है, जबकि नक्शा ट्रेस के अवलोकन से स्पष्ट है कि गै. मु. रास्ते 3769 से ख. नं. 3921 से नजदीक पड़ता है और धारा 251 ए में निकटतम से निकटतम रास्ता देने का प्रावधान है। अतः प्रार्थना पत्र आर. टी. ए की धारा 251 के प्रावधानो के अन्तर्गत नहीं होने से प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 10.10.2023 को सुनाया गया।

10/10/23

उपखण्ड अधिकारी
देवली